न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 78/25 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2025/275

1. चुन्नीबाई पत्नी केसुलाल जी जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
2. प्रकाश पुत्र केसुलाल जी जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
3. पुष्पा पुत्री केसुलाल जी जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
4. भेरूलाल पुत्र केसुलाल जी जाति कुम्हार, उग्र वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
5. भुरी पुत्री केसुलाल जी जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) ....प्रार्थीगण

बनाम

1. उषा पुत्री बाबु जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
2. खुमाणी पुत्री चेना जाति भील, उम्र वयरक, निवासी नऊवा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज)
3. बेनकी पुत्री चेना जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
4. मीठालाल पुत्र बाबु भील, नाबालिग संरक्षक सरपरस्त बहिन उषा भील, उम्र वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
5. लाली पुत्री चेना जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा, जिला उदयपुर (राज०)
7. पटवारी, पटवार हल्का नऊवा, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री भोजपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 5
3. राजपैरोकार नायब तहसीलदार मावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 15.07.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131–133 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा नऊवा, पटवार हल्का नउवा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 2524 / 1873 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है। आराजी नम्बर 2546 / 1873 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है। आराजी नम्बर 2471 / 1873 रकबा 2.0558 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 2524 / 1873 हम प्रार्थीगण की होकर हमारे कब्जे उपयोग उपभोग में निरन्तर निर्बाध रूप से चली आ रही है तथा हमसे पहले उक्त भूमि हमारे पिता / पति के कब्जे अधिकार में थी। हमारे पिता / पति के निधनोपरान्त उनके कब्जे अधिकार की उक्त कृषि भूमि हम प्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई हैं और हमने हमारी उक्त कृषि भूमि को विकसित कर उपजाऊ बनाने के लिये काफी लागत लगाई एवं परिवार सहित परिश्रम कर जमीन को उपजाऊ बनाकर आवादान की है तथा हम हमारी कृषि भूमि पर सपरिवार शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक दखल अधिकार नही हैं। आराजी नम्बर 2546 / 1873 विपक्षी संख्या 1 से 5 की है जिससे हम प्रार्थीगण का कोई सरोकार नही रहा हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि के हम प्रार्थीगण मालिक स्वामी है और इस भूमि पर हमने व हमारे मौरूस ने लाखों रूपयों का खर्चा कर भूमि को विकसित कर आवादान की है और निर्वाध रूप से इस कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं किन्तु अभी दिनांक 30–05–2025 को जब हमने हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमि की सीमा जानकारी हेतु वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी प्राप्त कर पटवारीजी से इसके बारे में बातचीत की तो उन्होने बताया कि राजस्व नक्शा ट्रेस में हमारी आराजी मौके कब्जे अनुसार वर्तमान नक्शे में फीड नहीं है अर्थात हम जहां काबिज है उस अनुसार नक्शे में हमारी भूमि तरमीम नही है यानि कि हम प्रार्थीगण जहां काबिज है वहां पर वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज आराजी पैमुद है और विपक्षी संख्या 1 से 5 जहां काबिज है वहां पर आराजी नम्बर 2471 / 1873 पैमुद हैं। इस प्रकार पटवारी द्वारा उक्त बात बताने पर हम प्रार्थीगण को हमारी उक्त आराजी नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर देने का ज्ञान हुआ। जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purbadia
Date: 2025.08.22 16:58:13 IST
Reason: SelfAttested

मौके की स्थिति अनुसार ही हमारी एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 की आराजीयात को राजस्व नक्शे में पैमुद किया जाना चाहिए था। हम प्रार्थीगण को उक्त तथ्य के बारे में ज्ञान होने पर हमने इसके बारे में जानकारी कराई तो रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा गफलत पूर्वक इन आराजीयात को गलत जगह तरमीम करने का पता चला।

2. यह कि इस तरह हमारी आराजी भूमि को रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा अकारण गलत जगह पैमुद कर राजस्व नक्शा ट्रेस में जानबुझकर अशुद्धि उत्पन्न कर दी गई हैं जिससे हमको हमारी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग करने में एवं भूमि को विकसित करने में भारी अड़चन का सामना करना पड़ रहा है। हमने राजस्व नक्शा ट्रेस में हुई गफलत (गलत तरमीम) को दुरूस्त करवाने हेतु तहसीलदार एवं पटवारी के समक्ष हाजिर होकर निवेदन किया गया तो इनके द्वारा नक्शे में हुई गफलत (गलत तरमीम) को दुरूस्त करने में असमर्थता प्रकट करते हुए इस आराजी का राजस्व नक्शे में सही तरमीम एस०डी०एम० सा० के आदेश से ही होने का परामर्श दिया। इसलिये अविलम्ब यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि को राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दिये जाने से हमको भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा हमें भारी मानसिक पीड़ा भी भोगनी पड़ रही हैं इसलिये हम प्रार्थीगण मौके की स्थिति एवं मौके अनुसार ही अपनी आराजी को राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाकर वास्तविक स्थिति बहाल कराने के अधिकारी हैं इसीलिए आप न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र हमारी और से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम प्रार्थीगण को राजस्व नक्शा में हमारी आराजी गलत तरमीम होने की जानकारी दिनांक 30—05—2025 को राजस्व नक्शा ट्रेस व नकल जमाबन्दी प्राप्त कर सीमा जानकारी हेतु पटवारीजी से बातचीत करने पर हुई और जानकारी होते ही वांछित दस्तावेज प्राप्त करके यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश किया जा रहा है।

4. अंत में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात को मौके कब्जे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में सही तरमीम/पैमुद कराये जाने का उचित आदेश फरमाया जावें। ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नउवा पटवार हल्का नउवा के खाता संख्या 354 के आराजी नम्बर 2524/1873 रकबा 0.3237 हैक्टेयर किस्म बा. तृतीय, खातेदारी हक से प्रार्थीया चुन्नीबाई पत्नि केसुलाल हिस्सा 1/5 जाति कुम्हार एवं सहखातेदारों के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:13 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पूर्व में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी महोदय वल्लभनगर जिला उदयपुर के आदेश क्रमाक 12/83 आंवटन दिनांक 07.03.1983 गैर खातेदारी हक से खातेदार केसुलाल पिता जगन्नाथ जाति कुम्हार निवासी नउवा को आवंटन की गई। जिसका तत्कालिन पटवारी द्वारा आदेश की पालना में नामा. संख्या 333 दर्ज किया गया। नामान्तरण फर्द के साथ नक्शा ड्रेस सलंग्न नहीं है। ना ही उक्त आवंटन भूमि का कोई तरमीम पटवार मण्डल में मौजूद कपड़ा लट्ठा नक्शा शीट पर मौजूद है। ना ही आवंटन आदेश के साथ नक्शा मौजूद है। पटवार मण्डल पर उपलब्ध बटर नक्शा शीट पर उक्त आराजीयात् का नक्शा मौजूद है जो मौके एवं प्रार्थी एवं मौतबिरानो द्वारा बताये गए कब्जे से भिन्नता रखता है। आराजी नम्बर 2546/1873 खाता संख्या 366 किता–01 रकबा 0. 8094 हेक्ट. खातेदार उषा पुत्री बाबु जाति भील वगैरह के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त भूमि पूर्व में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी महोदय वल्लभनगर जिला उदयपुर के आदेश क्रमांकः 16/83 आवंटन दिनांक 07.03.1983 आवंटनी चेना पिता दीपा जाति गमेती निवासी नउवा को आवंटन की गई। जिसका तत्कालिन पटवारी द्वारा आदेश की पालना में नामान्तरण संख्या 337 दर्ज किया गया। नामान्तरण फर्द, आवंटन आदेश एवं पटवार मण्डल पर उपलब्ध कपडा लट्ठा पर कोई तरमीम नक्शा साथ सलंग्न या उपलब्ध नहीं है। पटवार मण्डल पर मौजूद बटर नक्शा शीट पर नक्शा तरमीम उपलब्ध है परन्तु मौका, प्रार्थी एवं मौतबिरानों, गवाहों द्वारा बताए गए अनुसार नक्शे में भिन्नता है। आराजी नम्बर 2471/1873 खाता संख्या 1 किता 1 रकबा 20558 हैक्ट बिलानाम होकर किस्म मगरी राज्य सरकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौके एवं मौतबिरानों द्वारा दी गई गवाही द्वारा उक्त आराजी की तरमीम नक्शे से भिन्न है। आराजी नम्बर 2524/1873, 2546/1873, 2471/1873 की तरमीम उपलब्ध बटर शीट एवं मौके एवं मौतबिरानों द्वारा दी गई गवाही / बयानों के आधार पर भिन्नता पाई गई। अतः मौके एवं मौतबिरानों की गवाही अनुसार मौके पर नजरी नक्शा तैयार कर नया प्रस्तावित नक्शा तैयार किया गया है। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का विजनवास की रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत की गई।

6. विपक्षी संख्या 1 से 5 का वकालत पत्र अधिवक्ता श्री भोजपुरी गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा निवेदन किया कि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार हमारी भूमि की भी तरमीम की जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस का निवेदन करने उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार आवंटन के साथ तरमीम नही की गई थी। उसके पश्चात तरमीम कब्जे अनुसार नही कर भिन्न कर दी गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम की जाती है तो उभय पक्षकारान को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:13 IST
Reason: SelfAttested

7. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि ग्राम नउआ पटवार हल्का नउआ तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 354 पर दर्ज आराजी नम्बर 2524/1873 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है। तहसीलदार घासा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा नक्शा शीट अनुसार नही होकर भिन्न है। इसी प्रकार खाता संख्या 366 पर दर्ज आराजी नम्बर 2546/1873 रकबा 0.8094 हैक्टयर भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज है। परन्तु मौके पर कब्जा नक्शा में वर्णित अनुसार नही होकर विपक्षीगण का कब्जा भिन्न है। उक्त सभी आराजीयात की तरमीम साबिक लट्ठा शीट पर मौजूद नही है। खाता संख्या 1 पर दर्ज आराजी नम्बर 2471/1873 रकबा 2.0558 हैक्टेयर भूमि बिलानाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त सभी हाल आराजीयात का साबिक मूल आराजी नम्बर 1873 ही था। मूल साबिक आराजी नम्बर 1873 से प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मौरूस को आवंटन की गई। आवंटन का नामान्तरकरण राजस्व कर्मचारियो द्वारा पारित कर इनके मौरूस के नाम दर्ज करते हुए बट्टा नम्बर अंकित कर दिया गया, परन्तु नक्शे में तरमीम नही की गई। इस प्रकार उक्त भूमि बिना तरमीम के ही नक्शे में चली आ रही थी। तहसीलदार द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त भूमि का नक्शा ट्रेस नामान्तरकरण फर्द पर नही है तथाना ही उक्त आवंटन भूमि की तरमीम लट्ठा नक्शा शीट पर मौजूद है। परन्तु हाल नक्शे में तरमीम कर दी गई।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मौरूस को पृथक – पृथक आवंटन आराजी नम्बर 1873 से हुई है। तत्पश्चात आवंटन का नामान्तरकरण पारित किया गया है। आवंटन का नामान्तरकरण पारित करने के पश्चात बटा नम्बर अंकित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में इनके मौरूस के नाम दर्ज की गई। उसी समय साबिक लट्ठा नक्शा में उक्त भूमि की तरमीम करनी चाहिए थी। जो राजस्व कर्मचारियो द्वारा नही की गई। यदि उक्त तरमीम सेहवन से रह गई थी, तो ऐसे में समक्ष अधिकारी के आदेश से प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के आधार पर तरमीम करनी चाहिए थी, परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही कर अपने मनमुताबिक उक्त भूमि की तरमीम कर दी गई। उक्त तरमीम राजस्व कर्मचारियो द्वारा अपने मनमुताबिक कर देने से प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के कब्जे एवं राजस्व नक्शे में मिलान नही हो रहा है। जिसे तहसीलदार घासा द्वारा भी स्वीकार किया जाकर कब्जे अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा भी निवेदन किया गया है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर आवंटन से काबिज है। इसी अनुसार हमे आवंटन की गई थी। इसी अनुसार तरमीम को शुद्ध किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय का मानना है कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण को एक ही मूल साबिक आराजी नम्बर 1873 में से पृथक पृथक हुआ। आवंटन के पश्चात राजस्व कार्मिको द्वारा कब्जा सुपुर्दगी की गई। कब्जा सुपुर्दगी पश्चात काश्तकार जिस भूमि का कब्जा दिया जाता उसी भूमि पर कृषि कार्य किये जाते है। वर्तमान में प्रार्थीगण विपक्षीगण के आवंटन के पश्चात प्राप्त कब्जे जहां वे वर्तमान में मौके पर काबिज है एवं राजस्व नक्शे में भिन्नता है। न्यायालय यह भी मानना है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण उसी मूल नम्बर में काबिज होने से राजहित प्रभावित नही हो रहा है। केवल मात्र राजस्व नक्शा एवं मौके पर भिन्नता होने के कारण पक्षकारो के मध्य विवाद बने रहते है। चुंकि सभी पक्षकारो के मौरूस नियमानुसार आवंटन नियमो के तहत भूमि आवंटित की गई है। आवंटन के पश्चात से ही भूमि पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मौरूस काबिज थे। उनके निधन के पश्चात उनके वारिस प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 काबिज है। इसलिए वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 के कब्जे अनुसार आपस में तरमीम किये जाने की अनुशंषा तहसीलदार घासा द्वारा की गई है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नउवा पटवार हल्का नउवा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 366 पर दर्ज आराजी नम्बर 2546/1873 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खाता संख्या 354 पर दर्ज आराजी नम्बर 2524/1873 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खाता संख्या 1 पर दर्ज आराजी नम्बर 2471/1873 रकबा 2.0558 भूमि की तरमीम तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:13 IST
Reason: SelfAttested